



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062022-236472
CG-DL-E-10062022-236472

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2532]
No. 2532]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2022/ज्येष्ठ 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2022/JYAISHTHA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

का.आ. 2659(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2595 (अ) दिनांक 28 जून 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-344BG "उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में, दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारे (ग्राम-हलगोया) से शुरू होकर हरिद्वार (उत्तराखंड) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 के बहादुराबाद बाईपास (ग्राम-अतमलपुर बोंगला) तक, 6-लेन अभिगम नियंत्रित हरिद्वार के लिए स्पर का उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य में भारतमाला परियोजना अंतर्गत विकास" के किमी. 0.000 से किमी. 19.070 तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05 जुलाई 2021" को "दैनिक जागरण" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-344BG (दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून ग्रीनफील्ड परियोजना से हरिद्वार के लिए स्पर) के किमी. 0.000 से किमी. 19.070 तक के भू-खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: सहारनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: देवबन्द				
	गांव का नाम: बसेड़ा				
1	281	निजी	कृषि	0.004	सुरेशदत्त पुत्र कंवल सिंह (281)
2	463	निजी	कृषि	0.094	मानसिंह व लक्ष्मीचंद पुत्रगण अमीन सिंह; रामप्रसाद पुत्र दलपत सिंह नि० टिगरी; दिनेश कुमार त्यागी व सर्वेश कुमार पुत्रगण स्व० महावीर सिंह; श्रीमति कृष्णा पत्नी स्व० महावीर सिंह (463)
3	464	निजी	कृषि	0.0155	प्रमोद कुमार, शेरसिंह, मेहर सिंह पुत्रगण कमलू सिंह; महावीर सिंह, मानसिंह व लक्ष्मीचंद पुत्रगण अमीन सिंह; महेन्द्र पुत्र शंभू सिंह; नीरज कुमार व विकास कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार (464)

4	99	निजी	कृषि	0.002	भरत सिंह पुत्र ज्ञानचंद; श्रीमति कविता देवी पत्नी भरत सिंह (99)
गांव का नाम: बिलासपुर शेखूपुर					
5	555	निजी	कृषि	0.035	आक्षांश 10 वर्ष पुत्र अजीत सिंह केयर ऑफ माता रेखा सिंह; रोशनी पुत्री स्व० सुन्नू; शानू ना० बा० 06 वर्ष पुत्र मनोज कुमार सं० माता रेखा; श्रीमति रेखा पत्नी स्व० मनोज कुमार; मिथिलेश पत्नी स्व० रामपाल सिंह; अंकित व सुमित कुमार पुत्रगण वेदपाल; संजय कुमार पुत्र चमेला; बिजेंद्र, योगेंद्र कुमार व नीटू पुत्रगण रकम सिंह; मेनपाल व महीपाल पुत्रगण चमेला (555)
गांव का नाम: खेड़ा मुगल					
6	919	निजी	कृषि	0.17	गोरव एँस्/ओ लेय्ट लक्ष्मण; गोविंद सिन् (मैनर्) 16 साल सी/ओ एसएमटी. सुनीता (मदर) डबल्यू/ओ ले लक्ष्मण; एसएमटी. सुनीता डबल्यू/ओ लेट लक्ष्मण (919)
7	975	निजी	कृषि	0.059	इइकराम पुत्र मीरहसन; मो० फारुख पुत्र महबूब हसन; साहिद, जाहिद व तुफैल पुत्रगण असगर; श्रीमति हुश्रवानो पत्नी मो० फारुख नि० नाफेपुर; परवास पुत्र नासिर नि० नाफेपुरक्रम एँस्/ओ मिरहासन; एमडी. फारुख एँस्/ओ महबूब हेयज़न्; शहीद, जहीद अन्ड तुफाएल एँस्/ओ असगर; एसएमटी. हुशंबनों डबल्यू/ओ एमडी. फारुख आर्/ओ नफेपुर; परवास एँस्/ओ नसीर आर्/ओ नफेपुर (975)
8	990	निजी	कृषि	0.019	अब्दुल रहमान, सुलेमान फरमान, मोहम्मद व मो० इरफान पुत्रगण मौसम अली; मौसम अली पुत्र मंगता

					(990)
	गांव का नाम: साधारण सिर				
9	910	निजी	कृषि	0.037	अकलचंद पुत्र सुखना (910)
10	911	निजी	कृषि	0.012	इतलेश कुमार व बिजेन्द्र कुमार पुत्रगण शंभू सिंह (911)
11	958	निजी	कृषि	0.014	राकेश कुमार, गोपालचंद, सेन्धेय कुमार, नीतू कुमार एंड गंगा प्रसाद पुत्र विमल प्रसाद इलामचंद पुत्र जोति (958)
	गांव का नाम: शेऊपुर				
12	389	निजी	कृषि	0.015	अनिल व प्रदीप पुत्रगण हरपाल सिंह; शिक्षा पत्नी स्व० हरपाल सिंह; श्रीमति शमशाद बेगम पत्नी इकराम (389)
13	415	निजी	कृषि	0.006	नरेन्द्र कुमार, संजय कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार व कृष्णपाल पुत्रगण इंद्राज सिंह; कुलवीर, कर्मवीर व जयवीर पुत्रगण बिजेन्द्रपाल सिंह; श्रीमति ऊषा पत्नी स्व० बिजेन्द्रपाल सिंह (415)
14	421	निजी	कृषि	0.007	नरेन्द्र कुमार, संजय कुमार, सुशील कुमार, सुनील कुमार व कृष्णपाल पुत्रगण इंद्राज सिंह; कुलवीर, कर्मवीर व जयवीर पुत्रगण बिजेन्द्रपाल सिंह; श्रीमति ऊषा पत्नी स्व० बिजेन्द्रपाल सिंह (421)
15	489	निजी	कृषि	0.076	मेन कुमार पुत्र बुद्ध; नाथन पुत्र कान्हा (489)
16	557	निजी	कृषि	0.049	मांगेराम, सुरेन्द्र सिंह व बिजेन्द्र सिंह पुत्रगण कालूराम (557)
17	610	निजी	कृषि	0.003	मांगेराम, सुरेन्द्र सिंह व बिजेन्द्र सिंह पुत्रगण कालूराम (610)

18	621	निजी	कृषि	0.025	रमेश चंद पुत्र कंटू (621)
गांव का नाम: ताजपुर					
19	106	निजी	कृषि	0.017	श्रीमति कुंतेश पत्नी स्व० धनप्रकाश (106)
20	117	सरकारी(नदी (काली))	गैर कृषि	0.019	नदी (काली नदी) (117)
21	656	निजी	कृषि	0.069	नागेशदत्त पुत्र सियाराम (656)
तालुक का नाम: रामपुर मनिहारान					
गांव का नाम: हलगोया अह०					
1	18/4	सरकारी(नदी)	गैर-कृषि	0.054	नदी श्रेणी 6 (1) (18/4)
2	183/5	सरकारी(नदी)	गैर कृषि	0.06	नदी श्रेणी 6 (1) (183/5)
3	26/1	निजी	कृषि	0.105	मदनपाल सिंह पुत्र हरमल आदि (26/1)
4	26/3	निजी	कृषि	0.008	शाहदीन; सलीम; मदनपाल सिंह पुत्र हरमल आदि (26/3)
5	65/3	निजी	कृषि	0.0187	जिन्दाहसन पुत्र आलमदीन (65/3)
			कुल	0.9932	

[फा. सं. NHAI/PIU-RRK/66001/BM/Spur Haridwar (DPR)/2021/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

S.O. 2659(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2595(E) dated 28th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 344BG "Development of six lane access control spur to Haridwar starting at its junction with Delhi-Saharanpur-Dehradun Economic Corridor (Vill-Halgoya) in Saharanpur (U.P.) and terminating on NH-334 in Bahadabad bypass (Vill-Atamalpur Bongla) in Haridwar (Uttarakhand) in the state of Uttar Pradesh &

Uttarakhand under Bharatmala Pariyojana" in the stretch of land from Km 0.000 to Km 19.070 in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in "*Dainik Jagran*" and "*Hindustan Times*" both dated **5th July, 2021** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within in the stretch of land from Km 0.000 to Km 19.070 section of National Highway no. 344BG (Spur to Haridwar from Delhi-Saharanpur-Dehradun Greenfield project) in the district of SAHARANPUR in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SAHARANPUR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Deoband				
	Village: Baseda				
1	281	Private	Agriculture	0.004	Sureshdutt S/o Kanwal Singh 281
2	463	Private	Agriculture	0.094	Maan Singh and Lakshmichand S/o Amin Singh; Ramprasad S/o Dalpat Singh R/o Tigari; Dinesh Kumar Tyagi and Sarvesh Kumar S/o Late Mahaveer Singh; Smt. Krishna W/o Late Mahaveer Singh 463
3	464	Private	Agriculture	0.0155	Pramod Kumar, Sher Singh and Meher Singh S/o Kamlu Singh; Mahaveer Singh, Maan Singh and Lakshmichand S/o Amin Singh; Mahendra S/o Shambhu Singh; Neeraj Kumar and Vikas Kumar S/o Surendra Kumar 464
4	99	Private	Agriculture	0.002	Bharat Singh S/o Gyanchand; Smt. Kavita Devi W/o Bharat Singh 99
	Village: Bilaspur Sheikhopur				
5	555	Private	Agriculture	0.035	Akshansh (Minor) 10 Yr. S/o Ajit Singh C/o Rekha Singh (Mother); Roshani D/o Late Sunnu; Shanu (Minor) 06 Yr. S/o Manoj Kumar C/o Rekha (Mother); Smt. Rekha W/o

					Late Manoj Kumar; Mithilesh W/o Late Rampal Singh; Ankit and Sumit Kumar S/o Vedpal; Sanjay Kumar S/o Chamela; Bijendra, Yogendra Kumar and Neetu S/o Rakam Singh; Mainpal and Mahipal S/o Chamela 555
Village: Kheda Mugal					
6	919	Private	Agriculture	0.17	Gorav S/o Late Lakshman; Govind Singh (Minor) 16 Yr. C/o Smt. Sunita (Mother) W/o Late Lakshman; Smt. Sunita W/o Late Lakshman 919
7	975	Private	Agriculture	0.059	Ikram S/o Mirhasan; Md. Farukh S/o Mahboob Hasan; Sahid, Jahid and Tufail S/o Asgar; Smt. Hushnbano W/o Md. Farukh R/o Nafepur; Parwas S/o Nasir R/o Nafepur 975
8	990	Private	Agriculture	0.019	Abdul Rahman, Suleman, Farman, Mohammad and Md. Irfan S/o Mausam Ali; Mausam Ali S/o Mangata 990
Village: Sadharan Sir					
9	910	Private	Agriculture	0.037	Akalchand S/o Sukhana 910
10	911	Private	Agriculture	0.012	Itlesh Kumar and Bijendra Kumar S/o Shambhu Singh 911
11	958	Private	Agriculture	0.014	Rakesh Kumar, Gopalchand, Sanjay Kumar, Neetu Kumar and Ganga Prasad S/o Vimal Prasad; Ilamchand S/o Joti 958
Village: Sheupur					
12	389	Private	Agriculture	0.015	Anil and Pradeep S/o Harpal Singh; Shiksha W/o Late Harpal Singh; Smt. Shamshad Begam W/o Ikram 389
13	415	Private	Agriculture	0.006	Narendra Kumar, Sanjay Kumar, Sushil Kumar, Sunil Kumar and Krishnpal S/o Indraj Singh; Kulveer, Karmveer and Jayveer S/o Late Bijendrapal Singh; Smt. Usha W/o Late Bijendrapal Singh 415
14	421	Private	Agriculture	0.007	Narendra Kumar, Sanjay Kumar, Sushil Kumar, Sunil Kumar and Krishnpal S/o Indraj Singh; Kulveer, Karmveer and Jayveer S/o Late Bijendrapal Singh; Smt. Usha W/o Late Bijendrapal Singh 421
15	489	Private	Agriculture	0.076	Men Kumar S/o Buddhu; Nathan S/o

					Kanha 489
16	557	Private	Agriculture	0.049	Mangeram, Surendra Singh and Vijendra Singh S/o Kaluram 557
17	610	Private	Agriculture	0.003	Mangeram, Surendra Singh and Vijendra Singh S/o Kaluram 610
18	621	Private	Agriculture	0.025	Ramesh Chand S/o Kantu 621
Village: Tajpur					
19	106	Private	Agriculture	0.017	Smt. Kuntesh W/o Late Dhanprakash 106
20	117	Government(Nadi (Kaali))	Non Agriculture	0.019	River (Kaali Nadi) 117
21	656	Private	Agriculture	0.069	Nageshdutt S/o Siyaram 656
Taluk: Rampur Maniharan					
Village: Halgoya Aht.					
1	18/4	Government(River)	Non- Agriculture	0.054	River Category 6(1) 18/4
2	183/5	Government(river)	Non Agriculture	0.06	River Category 6(1) 183/5
3	26/1	Private	Agriculture	0.105	Madanpal Singh S/o Harmal etc. 26/1
4	26/3	Private	Agriculture	0.008	Shahadin, Salim, Madanpal Singh S/o Harmal etc. 26/3
5	65/3	Private	Agriculture	0.0187	Jindahasan s/o Alamdeen 65/3
			TOTAL	0.9932	

[F. No. NHAI/PIU-RRK/66001/BM/Spur Haridwar (DPR)/2021/3D]

RAJESH GUPTA, Director